राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रश्न - उत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005

एवं

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005

प्रश्न – उत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर

इस पुस्तक के किसी भी भाग की छायाप्रति ऐसे शैक्षणिक कार्यो के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, जिसका आशय लाभ कमाना नहीं है।

संपादन – मणिशंकर मिश्रा,
डॉ. मनोज पाण्डेय,
आनंद रघुवंशी,
अजय गुरू दिवान,
इंजी.ललित किशोर शर्मा,
डॉँ. अशोक जायसवाल

सहयोग – कोमल देव सोनवानी

प्रकाशक –**छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान**
ग्राम – निमोरा
रायपुर –492015
छत्तीसगढ़

विवरणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005	01
2.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005	01
3.	I- अधिनियम से संबंधित सामान्य प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 01 से 32 तक)**	03
4.	II-योजना के प्रचार–प्रसार से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 33 से 35 तक)**	18
5.	III- रोजगार कार्ड संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 36 से 47 तक)**	20
6.	IV- शिकायत एवं मजदूरों से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 48 से 57 तक)**	24
7.	V- आवेदन से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 58 से 62 तक)**	28
8.	VI- मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 63 से 71 तक)**	30
9.	VII- कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 72 से 95 तक)**	33
10.	VIII- कार्यस्थल से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 96 से 103 तक)**	41
11.	IX - खातों से संबंधित प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 104 से 110 तक)**	44
12.	X- अन्य प्रश्न–उत्तर **(प्रश्न क्र0 111 से 116 तक)**	47

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम – 2005 लोक सभा में 23 अगस्त 2005 को ध्वनिमत से पारित हुआ। देश के 200 जिलों में 02 फरवरी 2006 को यह अधिनियम लागू हो गया तथा अगले 05 वर्षो में इस अधिनियम को संपूर्ण ग्रामीण भारत में लागू करने का लक्ष्य है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में यह अधिनियम लागू है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। योजना के माध्यम से अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के 11 जिलों में प्रभावी इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम–से–कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है।

राज्य स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन हैं। यह परिषद राज्य स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन की व्यवस्था एवं देखरेख करेगी। योजना का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से की जायेगी। ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन अभिकरण होगी तथा योजना के क्रियान्वयन में जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगी। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य एवं जनपद स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन में एक कड़ी का काम करेंगे।

I- अधिनियम से संबंधित सामान्य प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है ?

उत्तर :– अकुशल शारीरिक श्रम तथा न्यूनतम मजदूरी पर आधारित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम देने की वैधानिक गारंटी ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है।

प्रश्न 2– योजना एवं अधिनियम में क्या अंतर है ?

उत्तर :– अधिनियम एक लिखित वैधानिक व्यवस्था होती है, जिसमें जल्दी परिवर्तन संभव नहीं होता तथा इसका निर्माण संसद या विधान मंडल (विधानसभा) करती है। जबकि योजना सरकार की इच्छा पर निर्भर होती है, जो कि कम स्थायी एवं अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। अधिनियम में वर्णित बातें लागू करना कानूनी बाध्यता है जो कि व्यक्तियों को वैधानिक अधिकार प्रदान करती है जबकि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये जो तैयारी की

जाती है जिसके तहत कार्यों का क्रियान्वयन होता है, योजना कहलाती है। योजना में समय एवं परिस्थिति के अनुसार सुधार एवं परिवर्तन होता रहता है।

प्रश्न 3– रोजगार गारंटी योजना से क्या लाभ है ?

उत्तर :– रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख लाभ निम्न है :–

1. गरीबी और भूख मिटाने में सहायक है।
2. प्रति परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है।
3. पलायन रोकने में सहायक।
4. 1/3 महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता देने से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव होगा।
5. ग्रामीण क्षेत्रों पर सार्थक संपदा का सृजन होगा।

प्रश्न 4– इस अधिनियम के अंतर्गत काम का अधिकार किसे है ?

उत्तर :– कोई भी ग्रामीण वयस्क व्यक्ति जो अकुशल कार्य कर सकता है एवं कार्य करने का इच्छुक है, इस अधिनियम के

अंतर्गत कार्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रश्न 5– साल भर की गणना कैसे होगी ?

उत्तर :– साल भर का अर्थ वित्तीय वर्ष से है जो कि 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगी । उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक का समय एक वित्तीय वर्ष माना जायेगा।

प्रश्न 6– छत्तीसगढ़ की किन जिलों में रोजगार गारंटी योजना प्रभावशाली है ?

उत्तर :– वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में यह योजना चल रही है, जो कि निम्न है :–

1. बस्तर 2.बिलासपुर 3. दंतेवाड़ा
4. धमतरी 5. जशपुर 6. कांकेर
7. रायगढ़ 8. कोरिया 9. सरगुजा
10. राजनांदगांव 11. कबीरधाम (कर्वधा)

प्रश्न 7– क्या शहरी लोगों को इसमें काम मिलेगा ?

उत्तर :– नहीं। यह योजना केवल ग्रामीणों के लिये है।

प्रश्न 8– ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं ?

उत्तर :– अधिनियम के अनुच्छेद 01 में आठ प्रकार के कार्यो का वर्णन है, जो कि निम्नलिखित हैः–

1. जल संरक्षण एवं जल संचय।
2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण।
3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
4. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति परिवारो या भूमि सुधारों के लाभांवितो एवं इंदिरा आवास योजना से लाभांवितो की जमीन तक सिंचाई की सुविधायें पहुंचाना।
5. परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरुद्धार(तालाबों से मिट्टी निकालने सहित)।
6. भूमि विकास के कार्य ।
7. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
8. हर मौसम में गांव–गांव तक पहुंचने के रास्ते का निर्माण ।

9. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया कोई अन्य कार्य।

प्रश्न 9– यह अधिनियम किन शर्तो के अधीन रोजगार की गारंटी देता है ?

उत्तर :– अधिनियम के अंतर्गत रोजगार पाने के लिये निम्न शर्तें पूरा करना आवश्यक है:–

1. नया कार्य प्रारंभ करने के लिये 50 या अधिक मजदूर कार्य विशेष के लिये उपलब्ध हों तथा लिखित आवेदन करें।
2. कार्य प्राप्ति हेतु ईकाई, परिवार को माना गया है न कि व्यक्ति को।
3. आवेदकों का वयस्क होना आवश्यक है तथा रोजगार कार्ड में नाम दर्ज होना चाहिये।
4. कार्य की प्रकृति अकुशल श्रम की होगी जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत या क्रियान्वयन ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न 10– ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर :– केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य सरकार इसे लागू करेगी तथा तीनों स्तर (ग्राम, जनपद एवं जिला) पर पंचायत ही नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिये मुख्य प्राधिकरण होगी। फिर भी क्रियान्वयन की मौलिक ईकाई जनपद पंचायत होगी जहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी को योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जायेंगी। कार्यक्रम अधिकारी ही जनपद स्तर पर योजना लागू करने हेतु उत्तरदायी होगा। कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत और जिला समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होगा।

प्रश्न 11– काम पाने के लिये क्या करना होगा ?

उत्तर :– इसके प्रथम चरण में लिखित आवेदन द्वारा ग्राम पंचायत में पंजीयन करवाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत द्वारा संक्षिप्त छानबीन की जायेगी। छानबीन द्वारा यह

पता लगाया जायेगा कि आवेदक को उस ग्राम का निवासी होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। इसके उपरांत उस परिवार को रोजगार कार्ड प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदक को पुनः काम के लिये आवेदन करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि काम के मांग से पूर्व हर बार आवेदन करना पड़ेगा। इसी के आधार पर आवेदक या उसके परिवार के किसी भी अन्य वयस्क सदस्य को जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, को 15 दिन के अंदर काम प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न 12– रोजगार कार्ड क्या है ?

उत्तर :– रोजगार कार्ड एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें आवेदक एवं उसके परिवार के वयस्क सदस्यों का फोटो सहित विवरण होता है तथा उसके द्वारा किये गये कार्य की मांग, रोजगार प्रदान करने का विवरण, कार्य दिवसों, प्राप्त पारिश्रमिक और रोजगार उपलब्ध न कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता आदि का विवरण होता है।

प्रश्न 13– रोजगार कार्ड कब तक के लिये बनेगा ?

उत्तर :– रोजगार कार्ड 5 वर्षों तक वैध माना जायेगा।

प्रश्न 14– काम के लिये आवेदन कहाँ करें ?

उत्तर :– ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आवेदन ग्राम पंचायत में किया जाये।

प्रश्न 15– दैनिक मजदूरी कितनी होगी ?

उत्तर :– राज्य के खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी अथवा केन्द्र सरकार यदि मजदूरी तय करती है तो यह 60/– रूपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 01 दिसंबर 2006 से यह दर 62.63/– रूपये है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दर परिवर्तित की जाती है।

प्रश्न 16– भुगतान नगद होगा या किसी अन्य तरह से ?

उत्तर :– भुगतान नगद या वस्तु दोनों प्रकार से किया जा सकता है। दूसरे तरह का भुगतान सामान्यतः अनाज के रूप में

किया जा सकता है। यद्यपि कुल मजदूरी का न्यूनतम 25 प्रतिशत नगद भुगतान आवश्यक है। वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूर्णतः नगद भुगतान देने की व्यवस्था है।

प्रश्न 17– प्रतिदिन कार्य कितने घंटे का होगा ?

उत्तर :– प्रतिदिन कार्य 07 घंटे का होगा किंतु इस अवधि में निर्धारित कार्य करना आवश्यक होगा।

प्रश्न 18– भुगतान की अवधि क्या होगी ?

उत्तर :– भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम 15 दिवस के अंदर होना आवश्यक है।

प्रश्न 19– क्या पुरूष और महिलाओं के लिये अलग–अलग मजदूरी दर है ?

उत्तर :– बिल्कुल नहीं। पुरूष और महिला के लिये मजदूरी दर समान होगी। यहाँ किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव पूरी तरह से मना है।

प्रश्न 20– मजदूरों के लिये कार्यस्थल पर क्या सुविधायें हैं ?

उत्तर :– कार्यस्थल पर मजदूरों को निम्न सुविधायें प्रदान करना आवश्यक हैः–

1. स्वच्छ पेय जल
2. आराम के लिये छांव की व्यवस्था
3. आपात कालीन उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था (First Aid Box) आदि।

प्रश्न 21– कार्यस्थल पर मजदूरों के छोटे बच्चों की देखभाल की क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर :– यदि कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के छः वर्ष से कम आयु के पाँच या अधिक बच्चे हैं तो उनकी देखरेख हेतु एक महिला श्रमिक की नियुक्ति की जायेगी तथा वह महिला भी अन्य मजदूरों की भांति न्यूनतम मजदूरी की हकदार होगी।

प्रश्न 22– काम कहाँ मिलेगा ?

उत्तर :– गांव में ही 5 किमी. की परिधि के अंदर काम दिया जायेगा और यदि इस परिधि से बाहर काम दिया जाता है तो वह जनपद पंचायत से बाहर नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में मजदूरों को मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा।

प्रश्न 23– क्या अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों हेतु प्रावधान है ?

उत्तर :– विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार यथा संभव योजना के अंतर्गत काम दिया जायेगा।

प्रश्न 24– यदि काम करते वक्त दुर्घटनायें हो जाये तब क्या होगा ?

उत्तर :– ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का निःशुल्क इलाज होगा साथ ही यदि वह अस्पताल में भर्ती हो तो उसे आवास, उपचार तथा दवा के साथ–साथ दैनिक भत्ता (कम से कम मजदूरी का आधा) भी प्राप्त होगा।

प्रश्न 25– यदि काम करते वक्त मजदूर की मृत्यु हो जाती है या वह पूर्णतः अपंग हो जाता है, तब क्या होगा ?

उत्तर :– काम करने के दौरान मृत्यु या पूर्णतः अपंगता की स्थिति में उस व्यक्ति अथवा उसके परिवार को 25,000/– रूपये सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 26– क्या मजदूर अपनी पसंद या नापसंद का काम मांग सकते हैं ?

उत्तर :– नहीं। काम का निर्धारण ग्राम पंचायत या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के आधार पर ही किया जायेगा।

प्रश्न 27– यदि कोई व्यक्ति आवेदन के बाद काम पर ना आये तो क्या होगा ?

उत्तर :– कार्य की उपलब्धता की सूचना की तिथि से 15 दिनों के अंदर यदि कोई व्यक्ति काम पर नहीं आता है तो वह आगामी तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता का पात्र नहीं होगा किंतु वह काम हेतु आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 28– कार्यक्रम अधिकारी के क्या दायित्व हैं ?

उत्तर :– कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर मूलतः एक समन्वयक की भांति काम करता है। वह काम के आवेदनों और परियोजनाओं के प्रस्तावों को जमा कर दोनों में तालमेल बिठाने का काम करते हैं। परियोजना स्वीकार करने का काम इस प्रकार किया जाता है कि सभी

आवेदकों को 15 दिनों के अंदर काम मिल सके।

कार्यक्रम अधिकारी निगरानी का काम भी करता है। अनुमोदित कार्य के क्रियान्वयन पर निगरानी, जनपद स्तर पर अभिलेखों का संधारण, समय पर मजदूरी का भुगतान, शिकायत का समाधान, पारदर्शिता के तमाम प्रावधान लागू करना, आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार देना, मांग किये जाने पर रोजगार उपलब्ध न करवा पाने की स्थिति में बेराजगारी भत्ते का वितरण आदि कार्यक्रम अधिकारी के प्रमुख दायित्व हैं।

प्रश्न 29– क्रियान्वयन ऐजेंसी से क्या मतलब हैं ?

उत्तर :– क्रियान्वयन ऐजेंसी में वे सभी विभाग शामिल है जो रोजगार गारंटी योजना के तहत किसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हैं। इसमें ग्राम पंचायत प्रमुख क्रियान्वयन ऐजेंसी होगी जो कि योजना के कम से कम 50 प्रतिशत राशि का परियोजनाओं के क्रियान्वयन में खर्च करेगी।

प्रश्न 30– क्या रोजगार गारंटी योजना में ठेकेदार कार्य कर सकते हैं ?

उत्तर :– नहीं। रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है।

प्रश्न 31– रोजगार गारंटी अधिनियम में भ्रष्टाचार रोकने के क्या उपाय हैं ?

उत्तर :– इस अधिनियम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के अनेक प्रावधान है जैसे सभी इच्छुक मजदूरों के परिवारों को रोजगार कार्ड प्रदान किये जायेंगे तथा मजदूरी का भुगतान घोषित तिथि में समाज के निष्पक्ष व्यक्तियों के सामने सीधे श्रमिकों को किया जायेगा। उपस्थिति रजिस्टर एवं दूसरे सभी दस्तावेज जनता की जाँच हेतु रखा जायेगा। योजना के कार्यो का नियमित मूल्यांकन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार से लड़ने का महत्वपूर्ण हथियार है और यह ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सफलता के लिये जरूरी है।

प्रश्न 32– योजना में कितनी महिलाओं को काम मिलेगा ?

उत्तर :– अधिनियम में व्यवस्था है कि इस काम में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें कम से कम एक तिहाई महिलायें हों। चूंकि यह योजना मांग आधारित है अतः सभी आवेदकों को काम देना कानूनी बाध्यता है चाहे वह महिला हो या पुरूष।

II- योजना के प्रचार–प्रसार से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 33– योजना की जानकारी कैसे मिलेगी ?

उत्तर :– योजना के संबंध में जानकारी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक से मिल सकती है। जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत) से रोजगार गारंटी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

प्रश्न 34– योजना के प्रचार–प्रसार हेतु किन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर :– दीवार लेखन, पोस्टर, कला–जत्था, नुक्कड़ नाटक, रेडियो, दूरदर्शन, होर्डिंग, ग्राम सभा आदि के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जावेगा।

प्रश्न 35– योजना से संबंधित कोई बात पूछनी है तो किससे पूछें?

उत्तर :– ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच से योजना के संबंध में ग्राम स्तर पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

III- रोजगार कार्ड संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 36– परिवार कार्ड कैसे मिलेगा ?

उत्तर :– किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों वे सादे कागज में लिखित आवेदन के द्वारा पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करेगें। पंजीयन हेतु आवेदन की पावती अवश्य प्राप्त करें। ग्राम पंचायत द्वारा निवास एवं आयु संबंधी छानबीन के उपरांत पंजीयन किया जायेगा और रोजगार कार्ड, आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार को प्रदान किया जायेगा ।

प्रश्न 37– कार्ड में छोटे बेटे का नाम क्यों नहीं लिखा ?

उत्तर :– अधिनियम के अंतर्गत केवल वयस्क (18 वर्ष से अधिक उम्र) महिला एवं पुरूष को ही रोजगार पाने का अधिकार है। अतः रोजगार कार्ड में उस परिवार के वयस्क सदस्यों का नाम ही होगा तथा यह कार्य परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। अवयस्क बच्चों का नाम उसमें नहीं होगा तथा न

ही उन्हें रोजगार में नियोजित किया जायेगा।

प्रश्न 38– कार्ड में फोटो नहीं लगी तो क्या काम मिलेगा ?

उत्तर :– हाँ, कार्ड में फोटो नहीं होने पर भी काम मिलेगा किंतु फोटो सहित कार्ड प्राप्त करना आवश्यक है। फोटो का खर्च शासन वहन करेगी।

प्रश्न 39– रोजगार कार्ड में फोटो नहीं है, क्या करें ?

उत्तर :– आवेदन करके फोटो खिंचवाकर लगवा सकते हैं। फोटो का खर्च शासन वहन करेगी।

प्रश्न 40– लिखना नहीं आता, आवेदन कैसे करें ?

उत्तर :– किसी की सहायता से सादे कागज पर आवेदन लिखवा सकते है। आमतौर पर आवेदन सामुहिक होता है। ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव की भी मदद लिखने हेतु ली जा सकती है।

प्रश्न 41– बड़े परिवार को छोटे परिवार में कैसे बाटेंगे ?

उत्तर :– बड़े परिवार को छोटे परिवार में उप–खण्डों में विभाजित करके बांटा जा सकता है । जैसे कि यदि परिवार क्रमांक

में 6 में वयस्क सदस्यों की संख्या अधिक है तो उसे 6(क), 6(ख), 6(ग) इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है।

प्रश्न 42– पंजीयन अलग होने पर क्या कानूनी रूप से बटवारा हो जायेगा ?

उत्तर :– नहीं। यह पंजीयन केवल रोजगार गारंटी योजना के लिये है ।

प्रश्न 43– आवेदन देने के कितने दिन बाद रोजगार कार्ड मिलेगा ?

उत्तर :– 15 दिन के अंदर।

प्रश्न 44– यदि 15 दिन में रोजगार कार्ड नहीं मिला तो ?

उत्तर :– कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत कर रोजगार कार्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 45– कार्ड गुमने या फटने की दशा में क्या होगा ?

उत्तर :– पुनः आवेदन द्वारा कारण दर्शाकर द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है ?

प्रश्न 46– दूसरी ग्राम पंचायत में जाकर रहना है तो काम और कार्ड कैसे मिलेगा ?

उत्तर :– रोजगार कार्ड हेतु उस ग्राम का निवासी होना आवश्यक है। यदि स्वयं के गांव में काम उपलब्ध नही है तो दूसरे गांव में काम करने का निर्धारण जनपद स्तर पर क्रियान्वयन ऐजेंसी के द्वारा किया जायेगा। अतः आवेदक स्वयं काम करने का निर्धारण नहीं कर सकेंगे।

प्रश्न 47– रोजगार कार्ड से संबंधित समस्या का निपटारा कौन करें ?

उत्तर :– यदि आपको कार्ड समय पर नही मिल पा रहा है या अन्य कोई समस्या रोजगार कार्ड के संबंध में आती है तो इसकी शिकायत कार्यक्रम अधिकारी से करें ।

IV शिकायत एवं मजदूरों से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 48– 15 दिन के अंदर काम नहीं मिल पाने पर इसकी शिकायत किससे करें ?

उत्तर :– कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से शिकायत करें।

प्रश्न 49– ग्राम सतर्कता समिति (व्ही.एम.सी.) के लोग निगरानी कार्य हेतु कुछ पारिश्रमिक की मांग करते हैं। क्या उन्हें पारिश्रमिक दिया जा सकता है ?

उत्तर :– नहीं। ऐसा कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है।

प्रश्न 50– वृद्ध लोग कुछ साधारण सा कार्य (जैसे मिट्टी फोड़ना) करना चाहते हैं जो कि ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें क्या काम दें ?

उत्तर :– यथा संभव उनके शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य दें। अगर चाहें तो बारी–बारी से भी काम दे सकते है।

प्रश्न 51– अधिकतम उम्र का निर्धारण क्यों नहीं ?

उत्तर :– शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति को श्रम मूलक कार्य दिया जा सकता है। क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य आजीविका संवंर्धन, पलायन को रोकना तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है, अतः यदि व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है तो उम्र एक बाधा नही है ।

प्रश्न 52– भूमि सुधार हितग्राही कौन है ?

उत्तर :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार ही भूमि सुधार हेतु अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं।

प्रश्न 53– शिकायत करना है, लेकिन अनपढ़ हैं, कौन शिकायत लिखेगा ?

उत्तर :– शिकायत मौखिक रूप से भी किया जा सकती है। लिखित शिकायत के लिये अन्य किसी शिक्षित व्यक्ति से शिकायत लिखवाकर कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है।

प्रश्न 54– 100 दिनों की गणना कैसे की जायेगी ?

उत्तरः– रोजगार कार्ड में दर्ज वयस्क महिला एवं पुरूषों द्वारा मिलकर कुल यदि 100

दिन तक काम कर लिया जाता है तो 100 दिन पूरा माना जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी परिवार के तीन वयस्क सदस्य सुरेश, महेश और रमेश क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन का काम करते हैं तो उस परिवार का 100 दिन का कोटा पूरा हो जायेगा।

प्रश्न 55– सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर तहसीलदार के पास शिकायत करना है या कार्यक्रम अधिकारी के पास ?

उत्तर :– पंजीयन से संबंधित मुद्दे पर तहसीलदार के पास एवं अन्य विषयों पर कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) को शिकायत भेजना है।

प्रश्न 56– सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा ? (कोई अधिकारी या ग्राम सभा)

उत्तर :– ग्राम पंचायत के कार्य के लिये एस.डी. ओ.(सिविल) द्वारा चयन किये गये सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा। जनपद/अन्य किसी विभाग द्वारा कराये गये कार्य को जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किये गये दल द्वारा किया जायेगा एवं उस ग्राम

सभा की अध्यक्षता सरपंच या पंच के अतिरिक्त जो व्यक्ति इस कार्य से जुड़े न हो करेंगे। सचिव का कार्य ग्राम पंचायत से बाहर का अधिकारी करेगा।

प्रश्न 57– क्या हम रजिस्टर देख सकते हैं ?

उत्तर :– हाँ, निःशुल्क देख सकते है।

V- आवेदन से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 58– आवेदन का तरीका क्या होगा ?

उत्तर :– ग्राम पंचायत पर निःशुल्क उपलब्ध मांग–पत्र अथवा सादे कागज के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 59– मुझे लिखना नहीं आता, मेरा आवेदन कौन लिखेगा ?

उत्तर :– किसी भी अन्य पढ़े लिखे व्यक्ति से आवेदन लिखवा सकते हैं। रोजगार सहायक तथा ग्राम पंचायत सचिव की भी मदद ली जा सकती है।

प्रश्न 60– आवेदन के कितने दिन बाद काम मिलेगा ?

उत्तर :– 15 दिन के अंदर काम मिलेगा।

प्रश्न 61– काम मिलने की सूचना नहीं मिली तो क्या करना होगा ?

उत्तर :– ग्राम पंचायत या रोजगार सहायक से जानकारी प्राप्त करें। काम उपलब्धता की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा की जायेगी।

प्रश्न 62– कितने लोगों का आवेदन एक साथ दे सकते हैं ?

उत्तर :– कोई सीमा नहीं हैं, किंतु आवेदन में रोजगार कार्ड नंबर, कितने दिनों का काम चाहिए, कब से कब तक के लिए काम चाहिए स्पष्ट रुप से अवश्य अंकित करें।

VI मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 63– बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करेगा ?

उत्तर :– बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कार्यक्रम अधिकारी करेगा।

प्रश्न 64– क्या बेरोजगारी भत्ते की मांग करनी होगी ?

उत्तर :– हाँ, बेरोजगारी भत्ते की मांग करनी होगी।

प्रश्न 65– बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा ?

उत्तर :– काम की मांग किये जाने के बाद काम उपलब्ध न करवा पाने की दशा में शुरु के 30 दिन के लिये बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर का एक चौथाई (1/4) तथा शेष अवधि के लिये मजदूरी दर का आधा देय होगा।

प्रश्न 66– बेरोजगारी भत्ता कब तक मिलेगा ?

उत्तर :– बेरोजगारी भत्ता उतनी ही अवधि का मिलेगा जितनी अवधि के लिये कार्य मांगा गया है, किन्तु 01 परिवार के

लिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक नहीं मिलेगा। यदि बीच में काम उपलब्ध करा दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जायेगा ।

प्रश्न 67– बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो क्या करना होगा ?

उत्तर :– जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक) को शिकायत करें।

प्रश्न 68– बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की समय सीमा क्या होगी ?

उत्तर :– जिस दिन से आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो चुका हो, उस दिन से 15 दिनों के अंदर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवश्यक है।

प्रश्न 69– बेरोजगारी भत्ता कब नहीं मिलेगा ?

उत्तर :– बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा यदि :–

1. आवेदक को काम समय पर उपलब्ध करा दिया गया हो और वह काम पर उपस्थित न हुआ हो।

2. वह अवधि बीत गयी हो जिसके लिये रोजगार का आवेदन किया गया हो ।
3. लाभार्थी परिवार का 100 दिन की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुकी हो या तो काम करके अथवा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करके।
4. परिवार को उस वित्तीस वर्ष में प्राप्त मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते का योग 100 दिन के वेतन के बराबर हो गया हो।

प्रश्न 70– भुगतान हेतु 15 दिन की अवधि कब से मानी जायेगी ।

उत्तर – कार्य शुरु होने की तिथि से ।

प्रश्न 71– अर्द्धकुशल / कुशल मजदूरों को मजदूरी कहॉ से दिया जायेगा ?

उत्तर 40 प्रतिशत सामग्री अनुपात के अंर्तगत ही अर्द्धकुशल / कुशल मजदूरों की मजदूरी दी जायेगी।

VII- कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 72– क्या एक साथ 100 दिन का कार्य मांगा जा सकता है ?

उत्तर :– हाँ, मांगा जा सकता है।

प्रश्न 73– क्या एक सदस्य के बदले परिवार का दूसरा सदस्य कार्य पर आ सकता है ?

उत्तर :– हाँ, किंतु कार्ड में उस व्यक्ति का नाम अंकित होना आवश्यक है तथा मस्टर रोल में भी उसी का नाम दर्ज होगा।

प्रश्न 74– क्या कार्य की मांग दिनों के आधार पर की जा सकती है ?

उत्तर :– हाँ, कार्य दिनों के आधार पर ही मांगा जायेगा क्योकि अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदाान करना है।

प्रश्न 75– क्या कार्य अग्रिम रूप से मांगा जा सकता है ?

उत्तर :– हाँ, किंतु तारीख, एवं अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

प्रश्न 76– कार्य समय पर नही मिला तथा कोई सूचना नहीं दी गयी तो क्या करें ?

उत्तर :– यदि कार्य समय पर नही मिलता है तो ग्राम पंचायत या क्रियान्वयन ऐजन्सी से पूछताछ करें और यदि संतुष्ट न हो तो बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करें ।

प्रश्न 77– क्या एक साथ एक ही बार में परिवार के एक से ज्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है ?

उत्तर :– हाँ, यदि रोजगार कार्ड में उनका नाम अंकित है तो एक साथ काम दिया जा सकता है, किन्तु आवेदन किये हुये अन्य सभी परिवारों को पहले काम दिया जायेगा ।

प्रश्न 78– 14 दिन से कम का काम मांगने पर क्या काम नहीं मिलेगा ?

उत्तर :– न्यूनतम 14 दिन का आवेदन करना होगा।

प्रश्न 79– जो काम दिया गया यदि उसमें काम पर नहीं पहुंच पाये तो क्या आगे काम नहीं मिलेगा ?

उत्तर :– काम मिलेगा, किंतु काम पर ना आने पर 90 दिन तक के लिये बेरोजगारी

भत्ते की पात्रता नहीं होगी परंतु काम के लिये आवेदन करने की पात्रता रहेगी।

प्रश्न 80– यदि बाद में आवेदन करने वाले को पहले काम दिया गया तो क्या करें?

उत्तर :– यदि आपने पहले आवेदन किया है और पहले आप को काम उपलब्ध न कराकर बाद में आवेदन देने वाले व्यक्ति को काम पहले दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी के पास शिकायत करें।

प्रश्न 81– अन्य विभाग यदि योजना के क्रियान्वयन में गलती करते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा।

उत्तर :– वह विभाग जो काम करवा रहा है पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

प्रश्न 82– 60:40 (मजदूरी : सामग्री) का अनुपात कहां पर रखना है।

उत्तर :– मजदूरी संबंधी लागतों **(Wage Cost)** और सामाग्री लागतों **(Material Cost)** का अनुपात अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम 60:40 के अनुपात से कम नहीं होना

चाहिए। इस अनुपात को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।

प्रश्न 83– वन क्षेत्रों में कौन–कौन से कार्य कराये जा सकते हैं ?

उत्तर :– नियमानुसार योजना में वर्णित वे सभी कार्य जो वन कानून के साथ सामन्जस्य रखते हों, कराये जा सकते हैं।

प्रश्न 84– क्या 100 दिन से भी अधिक काम एक वित्तीय वर्ष में मिल सकता है ?

उत्तर :– वर्तमान में ऐसी व्यवस्था अधिनियम में नही है।

प्रश्न 85– कार्य की मांग न होने पर पंचायत में कार्य कैसे कराये जायेगें ?

उत्तर :– चूंकि यह मांग आधारित योजना है अतः कार्य करवाने के लिये मांग लिखित रूप से रोजगार कार्ड प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अवश्य की जानी चाहिये, तभी इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जा सकता है।

प्रश्न 86– क्या काम गोदी के हिसाब से करना होगा ?

उत्तर :– हाँ, क्योंकि भुगतान कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न 87– क्या हम गर्मियों में सुबह जल्दी काम निपटाकर जा सकते हैं ?

उत्तर :– हाँ, यदि ग्राम पंचायत या क्रियान्वयन एजेंसी ऐसा निर्धारित करती है।

प्रश्न 88– क्या बरसात के दिनों में भी काम मिलेगा ?

उत्तर :– हाँ, काम के उपलब्धता के आधार पर मिलेगा। किंतु यदि उस समय कार्य की मांग की जाती है और क्रियान्वयन ऐजेंसी काम नहीं दे पाती है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा। मानसून की सक्रियता एवं कृषि से संबंधित कार्य प्रभावित न हो इसलिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह अवधि 15 जून से 15 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। 15 अक्टूबर के बाद आवेदकों को कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किये जायेगें।

प्रश्न 89– दूसरे ग्राम में जाने पर काम मिलेगा या नहीं ?

उत्तर :– हाँ, किंतु कार्य दूसरे ग्राम में मिलेगा या अपने स्वयं के ग्राम में मिलेगा इसका निर्धारण क्रियान्वयन एजेंसी करेगी। आपको आवेदन आपके ग्राम पंचायत या जनपद में कार्यक्रम अधिकारी के पास करना है। काम कहाँ मिलेगा इसका निर्धारण ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत स्तर पर निर्मित कार्य योजना के आधार पर किया जायेगा। प्राथमिकता आपको अपने ही गांव में काम देने की होगी।

प्रश्न 90– क्या हम इस योजना में काम करने से कोई दूसरा कार्य नहीं कर पायेगें ?

उत्तर :– नहीं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं।

प्रश्न 91– हम सात घंटे काम करते हैं किंतु सरपंच हमें पूरी मजदूरी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आपने काम कम किया है। जबकि अधिनियम में सात घंटे काम करने के लिये कहा गया है ?

उत्तर :– सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा सात घंटे की अवधि में किये गये कार्य की माप

को ही मानक कार्य माना गया है। चूंकि भुगतान कार्य के मूल्यांकन के आधार पर ही होगा, अतः निर्धारित कार्य पूरा करना आवश्यक है ।

प्रश्न 92– क्या रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में मेट रखने की व्यवस्था है ?

उत्तर :–हॉ ।

प्रश्न 93 कितने मजदूरों पर मेट रख सकते हैं ?

उत्तर :– मेट रखने का निर्धारण मजदूरों की संख्या तथा कार्य की प्रकृति के आधार पर तकनीकी अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा।

प्रश्न 94 दुर्घटना के इलाज का खर्च कब दिया जायेगा ?

उत्तर :– दुर्घटना के इलाज का खर्च, इलाज के दौरान ही दिया जायेगा।

प्रश्न 95– क्या राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के काम रोजगार कार्ड में लिखे जायेंगे ।

उत्तर :– नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम के बदले

अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को समाहित कर दिया गया है। अतः जहाँ पर रोजगार गारंटी योजना चल रही है वहाँ पर ये दोनों योजनायें बंद हो गयी हैं।

VIII- कार्यस्थल से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 96– यदि बगैर आवेदन या सूचना के कार्य दिया जाता है, तो क्या होगा ?

उत्तर :– आवेदन संबंधी औपचारिकता कार्य स्थल पर ही पूरा करवा लिया जाये बशर्ते कि रोजगार कार्ड होना आवश्यक है। यदि रोजगार कार्ड नहीं बना है तो पहले रोजगार कार्ड बनाया जाये। बिना आवेदन के काम प्रदान नही किया जायेगा ।

प्रश्न 97– यदि कार्यस्थल की दूरी अधिक है तथा वहाँ पहुंचने का किराया कहाँ से मिलेगा ?

उत्तर :– 5 किमी. की परिधि में ही काम दिया जायेगा। यदि 5 किमी. से अधिक दूरी पर काम दिया जाता है तो मजदूरी की 10 प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जायेगी।

प्रश्न 98– अन्य योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यो को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जोड़ा जायेगा कि नहीं ?

उत्तर :– नही जोड़ा जायेगा । केवल रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यो को ही इसमें लिया जायेगा ।

प्रश्न 99– आबंटित कार्य के अंतिम दिवस में यदि दुर्घटना हो जाती है, और श्रमिक काम करने पर असमर्थ हो जाता है, तो सहायता राशि एवं दैनिक भत्ता की क्या व्यवस्था है।

उत्तर :– यदि किसी मजदूर के साथ कार्य के अंतिम दिवस में ऐसी घटना घटती है तो निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न 100–कार्यस्थल पर महिला बच्चों की देखरेख करेगी अथवा विकलांग व्यक्ति ?

उत्तर :– बच्चों की देखरेख हेतु प्राथमिकता निम्न प्रकार से की जा सकती है :–

(1) विकलांग
(2) वृद्ध
(3) महिला

प्रश्न 101–यदि विकलांगता इस प्रकार की है कि वह कोई कार्य नहीं कर सकता तो उसे कैसे नियोजित करें ?

उत्तर :– इस योजना का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम (रोजगार) प्रदान करना है न कि किसी प्रकार की सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 102–छोटे बच्चे यदि पाँच से कम हैं तो उनकी देखरेख की व्यवस्था कैसे होगी ?

उत्तर :– चूंकि अधिनियम में पॉच या अधिक बच्चें होने पर ही देखरेख की व्यवस्था का प्रावधान है । यदि इससे कम बच्चे है तो पंचायत स्तर पर एक से अधिक चल रहे कार्यो में लगे हुये श्रमिकों के बच्चों को जो पॉच से अधिक हो सकते है, व्यवस्था की जा सकती है ।

प्रश्न 103–कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा का खर्च कौन और कब देगा ?

उत्तर :– क्रियान्वयन एजेन्सी इलाज के दौरान ही देगी।

IX - खातों से संबंधित प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 104–यदि मुखिया और परिवार के अन्य सदस्यों में नहीं बनती है तो खाता संचालन मुखिया हाथ में होना अन्य लोगों के लिये अपनी राशि प्राप्त करने में परेशानियाँ आ सकती है, इसका क्या निदान है ?

उत्तर :– विवादास्पद प्रकरणों में लिखित आवेदन प्राप्त कर जिस व्यक्ति द्वारा काम किया गया है उसे नगद भुगतान किया जा सकता है।

प्रश्न 105–बैंक या डाकघर दूर होने की स्थिति पर आवागमन खर्च कौन देगा ?

उत्तर :– अधिनियम में आवागमन खर्च व्यवस्था नही है। यदि बैंक या डाकघर की दूरी 01 या 02 कि. मी. है तभी भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न 106–क्या बैंक या डाकघर से भुगतान जरुरी है।

उत्तर :– बैंक या डाकघर से भुगतान प्राप्त करना जरुरी नहीं है, अतः मजदूर चाहें तो नगद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 107–ग्राम पंचायत में खातों का संचालन कौन करेगा ?

उत्तर :– ग्राम पंचायत।

प्रश्न 108–जनपद पंचायत में खातों का संचालन कौन करेगा ?

उत्तर :– कार्यक्रम अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से खातों का संचालन होगा।

प्रश्न 109–खातों का आडिट कौन करेगा ?

उत्तर :– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा आडिट किया जायेगा । जिसकी सूचना महालेखाकार को भी दी जायेगी, तथा महालेखाकार द्वारा भी आडिट किया जायेगा, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का भी प्रावधान है।

प्रश्न 110–अनपढ़ हैं बैंक खातों के संचालन में बहुत समस्यायें हैं, इसका क्या निदान है ?

उत्तर :– रोजगार सहायक या बैंक कर्मचारियों की मदद ली जा सकती है। कम मजदूरी भुगतान, भ्रष्ट्राचार, विलंब को रोकने तथा पारदर्शिता आदि के लिये बैंक के

माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की जा रही है । चाहें तो नगद भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं।

X- अन्य प्रश्न–उत्तर

प्रश्न 111–इस योजना के अंतर्गत लिखा–पढ़ी बहुत ज्यादा है, जिसमें बहुत समय लगता है। इससे काम प्रभावित होता है। क्या करें ?

उत्तर :– शिकायतों को दूर करने, मजदूरी भुगतान में बिलंब एवं अनियमितता को दूर करने तथा भष्ट्राचार आदि से बचने के लिये अभिलेखो का संधारण आवश्यक
है ।

प्रश्न 112–ग्रामीण सतर्कता समिति, प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग बनाने की बात है, जबकि यह व्यवहार में संभव नहीं हो पा रहा है ?

उत्तर :– निर्देशानुसार सभी कार्य के लिये अलग–अलग निगरानी एवं सतर्कता समिति का होना आवश्यक है ।

प्रश्न 113–अधिकतम उम्र का निर्धारण क्यों नहीं? वृद्धों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य व मजदूरी भुगतान में समस्यायें आती हैं। क्या करें?

उत्तर :– यह श्रम अकुशल शारीरिक श्रम आधारित योजना है। भुगतान कार्य आधार पर ही दिया जायेगा। यदि व्यक्ति कार्य कर सकता है तो उम्र एक बाधा नही है।

प्रश्न 114–कार्य के उपरांत मूल्यांकन कम आता है, तो कौन जिम्मेदार होगा?

उत्तर :– क्रियान्वयन एजेन्सी ।

प्रश्न 115–सुविधाओं का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा?

उत्तर :– अधिनियम के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल, छॉव, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, बच्चों के देखरेख की व्यवस्था होना आवश्यक है ।

प्रश्न 116–ग्राम पंचायत में यदि सभी रजिस्टर नहीं मिलते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा?

उत्तर :– ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे ।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

परिचयः–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय प्रदाधिकारियों को पंचायत राज विकास, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दिशा में विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दिशा में क्षमता वृद्धि की गतिविधियों की पहचान एवं क्रियान्वयन के दृष्टि से ''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान'' की स्थापना 24 अक्टूबर 2001 को हुई। संस्थान के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2005 को हुआ।

उद्देश्य :–

- राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के चयनित जनप्रतिनिधियों को पंचायत–राज अधिनियम, पंचायतों के कामकाज, संचालन की प्रक्रिया, योजना एवं बजट, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित कार्यप्रणाली, नेत्त्व एवं कौशल का ज्ञान कराना ।
- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को समय–समय पर शासन द्वारा जारी नीतियों, दिशा–निर्देशों, नियम, अधिनियम एवं उनमें किये गये संशोधन की जानकारी सुनिश्चित करना जिससे अमले की आवश्यक क्षमता–वृद्धि की जा सके।
- राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि हेतु उनका सतत सहयोग एवं पर्यवेक्षण करना साथ ही विभिन्न जिलों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षकों का दल तैयार करना।
- राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को पंचायत–राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के जमीनी आयामों में सशक्त बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

पहुंच :–

परिसर रायपुर से जगदलपुर मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र–6 पर ग्राम निमोरा में स्थित है। सड़क मार्ग से परिसर की दूरी रायपुर से 17 कि.मी. है। रेलमार्ग से रायपुर जंक्शन हावड़ा–मुंबई पथ पर स्थित है। वायु मार्ग से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, नागपुर एवं विशाखापटनम शहरों से सीधे रायपुर पहुंचा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
निमोरा, रायपुर - 492015, छत्तीसगढ़
दूरभाष : +91-771-2473204, 2473210
फैक्स : +91-771-2473214
ई-मेल : ps.dir@nic.in
वेबसाइट : http://www.cgsird.gov.in